CNR–UPAG010069252024

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट), आगरा।**

**<u>सेशन केस संख्या–1095 / 2024</u>**

श्रीमती कंचनलता बनाम सुरेश चन्द उपाध्याय व अन्य

धारा–323, 379, 352, 354ग, 354घ, 452, 504, 506भा0द0सं0 व 3(1) द व ध एस.सी. / एस.टी.एक्ट
थाना–जगदीशपुरा, जिला आगरा।

**<u>दिनांक 04.02.2025</u>**

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आरोप के विरूद्ध आपत्ति / उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

**<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र बाबत आरोप के विरूद्ध आपत्ति / उन्मोचन</u>**

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण सुरेश चन्द उपाध्याय, श्रीमती रानी उपाध्याय, कु0 प्राची उपाध्याय व योगेश कुमार की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र सुरेश चन्द उपाध्याय प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि परिवादिनी ने उक्त मामले में धारा 156(3) द0प्र0सं0 का प्रार्थनापत्र दाखिल किया जिसमें सही तथ्य वर्णित नही थे और परिवादिनी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थनापत्र ''नॉट प्रेस'' कर लिया था, क्योंकि थाने की आख्या में सत्य तथ्य लिखे हुए थे। परिवादिनी एक मुकदमेबाज व झगड़ालू किस्म की महिला है और चाहे जिससे लड़ने पर उतारू हो जाती है तथा हरिजन एक्ट में फसाने की धमकियां देती है। उसी के तहत परिवादिनी ने धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत एक प्रार्थनापत्र श्रीमती रितु यादव एस.आई. आदि जिसमें प्रार्थीगण के नाम भी थे, के विरूद्ध तथा दूसरा प्रार्थनापत्र कुलदीप शर्मा आदि के विरूद्ध दाखिल किया गया जो कि न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2023 को खारिज कर दिए गए जिनके विरूद्ध परिवादिया ने माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल किये जिसमें कमशः क्रिमिनल रिवीजन सं0 2648 / 2023 दिनांक 01.05.2024 को खारिज कर दिया तथा दूसरा क्रिमिनल रिवीजन सं0 2723 / 2023 अभी तक विचाराधीन है। परिवादिनी के खिलाफ एक एन.सी.आर. संख्या 200 / 2020 विपक्षी सं01 की पत्नी ने दर्ज करायी थी जिसमें विवेचनोपरान्त परिवादिनी व उसके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ जो अभी भी विचाराधीन है। तभी से परिवादिनी विपक्षी सं01 व उसके परिजनों

से दुश्मनी तथा रंजिश मानती चली आ रही है। उसी के बाद से उसने हर मुकदमे में विपक्षी सं01 का नाम घसीटा है और पुलिस द्वारा सत्यता परखने के बाद परिवादिनी का मुकदमा थाने पर नहीं लिखा गया। परिवादिनी के खिलाफ एक अन्य एफ.आई. आर. संख्या 148/2023 अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0द0सं0 मृत्युन्जय कुमार सिंह ने थाना जगदीशपुरा, आगरा में कराया था जिसमें परिवादिनी ने राजीनामा कर लिया है। परिवादिनी ने इस न्यायालय में जो परिवाद दाखिल किया है उसमें जो घटना दिखाई गयी हैं वह घटना घटित नहीं हुई है, मनगढन्त घटना है तथा विपक्षीगण कभी भी परिवादिनी के घर में नहीं घुसे है और न ही चोरी की है, क्योंकि आस पास के घरों में एवं परिवादनी के स्वयं के घर में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए हैं। परिवादिनी ने जो तथ्य अपने परिवाद में लिखे हैं उनका समर्थन उसके धारा 200 द0प्र0सं0 व उसके पति के धारा 202 द0प्र0सं0 के बयानों से नही होता है। आस पास का स्वतन्त्र गवाह पेश नहीं किया गया है। परिवाद पत्र कभी भी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दाखिल नहीं होता है जबकि परिवादिनी ने परिवाद सुनियोजित तरीके से दाखिल किया, क्योंकि जो भी उसका साथ नहीं देगा या विपक्षीगणों से मिलेगा, उसका नाम बयानों में लिखा देगी। इससे स्पष्ट है कि उक्त परिवाद झूठा मनगढन्त, पेशबन्दी, दवाब डालने तथा उत्पीड़न करने के उद्देश्य से विपक्षीगण के विरूद्ध दाखिल किया है। परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत धारा 156(3) द0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र पर पुलिस रिपोर्ट दिनांक 24–11–2021 में स्पष्ट लिखा कि कथित मनगढन्त घटना की अवधि में विपक्षी (सुरेश चन्द उपाध्याय) कोरोना से पीडित था तथा चिकित्सा अभिलेख भी रिपोर्ट के साथ संलग्न किये थे। योगेश कुमार शर्मा का निवास बोदला में है। वह भी दिनांक 3.7.2021 से 5.7.2021 तक बीमार रहे। बीमार व्यक्ति किसी घटना को अंजाम नही दे सकता है। परिवादिनी द्वारा आये दिन लडाई झगडा करने, एस.सी./एस. टी.एक्ट के अन्तर्गत एफ.आई.आर. कराने की धमकी आदि से तंग व परेशान होकर विपक्षीगणों ने अपना 154 जवाहरपुरम स्थित आवास छोडकर महारानी बाग, अलबतिया रोड, शाहगंज, आगरा में प्लाट सं० बी–43 दिनांक 18.8.2020 को क्रय करके मकान का निर्माण कराया तथा माह दिसम्बर 2020 से ही वहाँ रहना प्रारम्भ कर दिया। अतः माह जुलाई 2021 में विपक्षीगण यहाँ रहते ही नहीं थे। विपक्षी सुरेश चन्द उपाध्याय उ0प्र0 विद्युत विभाग का सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा वृद्ध व्यक्ति है। लड़ाई–झगडे के कारण परिवादिनी व उसके पति सुनील कुमार बनाम कुलदीप शर्मा आदि के विरुद्ध धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत मुकदमा वर्ष 2023 में चला था। उक्त के अतिरिक्त परिवादिनी द्वारा कालोनी में किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा किया जाता था उसके अनेक वीडिओं विपक्षीगणों के पास उपलब्ध हैं। परिवाद, 200

व 202 द0प्र0सं0 के बयानों में विरोधाभाष है जिसके आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई आरोप नहीं बनता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार वाद विधिक रुप से पोषनीय नही है। प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण द्वारा एस.सी./एस.टी.एक्ट की उपरोक्त धाराओं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रीती अग्रवाल एवं अन्य बनाम स्टेट आफ जी.एन.सी.टी. आफ दिल्ली (एस.सी. फौजदारी अपील नं0 348/2021 आदेश दिनांकित 31.05.2024 तथा हितेश वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.11.2020 के आधार पर एस.सी./एस.टी. एक्ट के प्रावधान लागू होने का कथन करते हुए उपरोक्त वर्णित तथ्यों व आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उन्मोचित किए जाने की याचना की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान ए.डी.जी.सी. फौ0 द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब दाखिल कर प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र गलत एवं असत्य तथ्यों पर आधारित है। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के आधार पर, उनके विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध वर्णित धाराओं में आरोप विरचित किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं। प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरान्त पत्रावली पर ऐसा कोई अतिरिक्त साक्ष्य नही आया है जिसके आधार पर अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाये। अतः अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

मामले से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया मुकदमा श्रीमती कंचन लता द्वारा विपक्षीगण सुरेश चन्द उपाध्याय, श्रीमती रानी उपाध्याय, कुमारी प्राची उपाध्याय उर्फ तन्नू, योगेश कुमार व उसकी पत्नी के विरूद्ध इस आशय से परिवाद प्रस्तुत किया गया है कि परिवादिनी अनुसूचित जाति जाटव की है, जबकि विपक्षीगण सवर्ण जाति के हैं एवं एक दूसरे से परिचित हैं। विपक्षीगण लम्बे समय से परिवादिया व उसके पति व पुत्र शुभम को जातिगत आधार पर परेशान करते हैं तथा जब भी वह घर के बाहर बाजार आदि जाती है तो उसे चमरिया ढेड़नी कहकर अपमानित करते हैं और कहते हैं कि साली यहां से मकान बेंच कर चली जा नहीं तो चेहरे पर तेजाब डाल देगें। विपक्षी सुरेश चन्द ने उसे चमरिया कहकर उस पर थूकते हुये गाना गाया कि आजा मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी और हाथों से गंदे–गंदे इशारे करता है तथा

इसका साढ़ू योगेश कुमार भी गंदे इशारे करते हुये सीटी बजाता है एवं उसका पीछा करता है। दिनांक 10.06.2015 को ये लोग उसके साथ मारपीट कर चुके हैं। दिनांक 04.07.2021 को प्रातः 10 बजे उक्त सभी विपक्षीगण एकराय होकर उसके घर में घुस आये और उसे लात घूँसों से मारा पीटा तथा सुरेश चन्द्र उपाध्याय ने आलमारी में रखे 30,000/–रूपये चोरी की नियत से अपनी जेब में रख लिये तथा उसकी पुत्री तन्नू ने उसकी हाथ घड़ी को चोरी कर लिया। चिल्लाने पर उसके पति छत से नीचे आये तो विपक्षीगण ने जाते–जाते कहा कि हरामजादी घर को उन्हें बेंच दे और यहां से भाग जा, उसकी वजह से पूरा क्षेत्र चमरियाना बनता जा रहा है और कहीं शिकायत की तो मियां–बीबी की हत्या कर देगें। थाने में रिपोर्ट करने गयी, तो नहीं लिखी गयी। पुलिस के विभिन्न उच्चाधिकारियों को जरिये पंजीकृत डाक सूचित किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त आधारों पर विपक्षीगण को जरिये वारंट तलब कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2024 को परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र, परिवादिया की साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 व 202 द0प्र0सं0 के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए अभियुक्तगण सुरेश चन्द उपाध्याय, श्रीमती रानी उपाध्याय, कु0 प्राची उपाध्याय उर्फ तन्नू व योगेश कुमार के विरूद्ध धारा–323, 379, 352, 354ग, 354 घ, 452, 504, 506 भा0द0सं0 व 3(1) द व ध एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि परिवादिनी के खिलाफ एक एन.सी.आर. अभियुक्ता श्रीमती रानी उपाध्याय ने दर्ज करायी थी, तभी से परिवादिनी विपक्षी सं01 व उसके परिजनों से दुश्मनी तथा रंजिश मानती चली आ रही है। परिवादिनी के खिलाफ एक अन्य एफ. आई.आर. संख्या 148/2023 अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0द0सं0 मृत्युन्जय कुमार सिंह ने थाना जगदीशपुरा, आगरा में कराया था जिसमें परिवादिनी ने राजीनामा कर लिया है। परिवादिनी ने इस न्यायालय में जो परिवाद दाखिल किया है उसमें जो घटना दिखाई गयी हैं वह घटना घटित नहीं हुई है, मनगढन्त घटना है तथा विपक्षीगण कभी भी परिवादिनी के घर में नहीं घुसे है और न ही चोरी की है, क्योंकि आस पास के घरों में एवं परिवादनी के स्वयं के घर में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए हैं। उक्त तथ्य के संबंध में न्यायालय का यह मत है कि उक्त संबंध में कोई भी निष्कर्ष पत्रावली पर साक्ष्य लिए जाने के उपरान्त ही दिया जा सकता है, बिना पत्रावली पर साक्ष्य आये उक्त बिन्दु के संबंध में इस स्तर पर कोई निष्कर्ष दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र में अन्य जो बिन्दु उठाए गए हैं,

वह भी साक्ष्य का विषय है जिनके संबंध में भी कोई निष्कर्ष पत्रावली पर साक्ष्य लिए जाने के उपरान्त ही दिया जा सकता है। आरोप के स्तर पर न्यायालय को मात्र अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को ही देखा जाना होता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 में निम्नलिखित उपबन्ध किया गया है–

" यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। "

अभियुक्त के उन्मोचन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था– State v. J. Doraiswamy Etc., AIR Online 2019 SC 480 SUPREME COURT के पैरा–16 में निम्नवत सम्प्रेक्षित किया गया है :–

16. While considering the case of discharge sought immediately after the chargesheet is filed, the Court cannot become an Appellate Court and start appreciating the evidence by finding out inconsistency in the statements of the witnesses as was done by the High Court in the impugned order running in 19 pages. It is not legally permissible.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सज्जन कुमार बनाम सी0बी0आई0 (2010) 9 एस0सी0सी0–368** यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :–

" At the stage of framing of charge under section 228 Cr.P.C. of while considering the discharge petition filed under section 227, it is not for the Magistrate or the judge concerned to analyse all the materials including pros and cons, reliability or acceptability, etc. It is at the trial, the judge concerned has to appreciate their evidentiary value, credibility or otherwise of the statement, veracity of various documents and is free to take a decision one way or the other."

इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था– **सी0बी0आई0 बनाम नरायन दास 2012 सी0आर0–एल0जे0 2610 (एस0सी0)** तथा **बिहार राज्य बनाम रमेशसिंह (1979)4 ए0सी0सी0 39** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आरोप गठन के प्रक्रम पर अभियुक्त की संभाव्य प्रतिरक्षा को भी विचार दिये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। विचारण के इस प्रक्रम पर न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि न्यायालय इस पर विस्तार से विचार करे और संवेदनशील संतुलन के अनुरूप यह तौले कि तथ्य यदि साबित हो गये तो क्या अभियुक्त की निर्दोषिता के विरूद्ध जायेंगे। आरोप गठन के इस प्रक्रम पर न्यायालय को यह नहीं देखना है कि

क्या अभियुक्त की दोषसिद्धि के पर्याप्त आधार है अथवा नहीं ? आरोप विरचित करने के लिए न्यायालय को इस प्रक्रम पर अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये साक्ष्य की सच्चाई और विश्वसनीयता की सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त को अन्तिम रूप से दोषी ठहराने से पूर्व लागू की जाने वाली कसौटी या सबूत का आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर लागू नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विधिक उपबन्ध तथा उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय को मात्र अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर ही विचार किया जाना है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरान्त पत्रावली पर कोई अतिरिक्त साक्ष्य नही आया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फौ0 अपील सं0 6129/2024 सुरेश चंद उपाध्याय व तीन अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 28.08.2024 द्वारा प्रस्तुत मामले को 12 माह के अन्दर निस्तारित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जहॉ तक प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं का प्रश्न है, उक्त विधि व्यवस्थाओं में तथ्यात्मक विभन्नता होने के कारण उक्त विधि व्यवस्थाएं वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होती हैं।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है, जिससे इस स्तर पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप निराधार प्रतीत होते हों। अभियुक्तगण की ओर से अपना पक्ष/साक्ष्य विचारण के दौरान प्रतिरक्षा के अवसर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत उन्मोचन, निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्तगण सुरेश चन्द उपाध्याय, श्रीमती रानी उपाध्याय, कु0 प्राची उपाध्याय उर्फ तन्नू व योगेश कुमार का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 25.02.2025 को पेश हो।

ह0

**(रवि कान्त-III)**
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),
आगरा

Digitally signed by RAVI KANT
Date: 2025.02.04 17:00:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court